राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांकः—एफ2(4)बीपीई / 89 / पार्ट—II / 140 जयपुर, दिनांक 29/3/2022

प्रबन्ध
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक,
समस्त राजकीय उपक्रम

विषयः—राजकीय उपक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ दिये जाने बाबत।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प12(3)वित्त(नियम)2022 दिनांक 24.03.2022 के क्रम में निर्देशित है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शेष समस्त राजकीय उपक्रम जिन पर रेप्सर एक्ट, 1999 के प्रावधान प्रभावी हैं, में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें आदिनांक तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें दिनांक 01.04.2022 में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की सहमति दी जाती है। इन कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होगा।

भवदीया,

कीर्ति
(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

संलग्न- उपरोक्तानुसार

327

कार्यालय उपक्रम विभाग
क्रमांक 133
दिनांक 28/3/22

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम)/2022 **जयपुर, दिनांक : 24 MAR 2022**

परिपत्र

विषयः राजकीय उपक्रमों / स्वशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि में नियुक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ दिये जाने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शेष समस्त राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय/ विश्वविद्यालय आदि जिन पर रेप्सर एक्ट, 1999 के प्रावधान प्रभावी हैं, में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें आदिनांक तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें दिनांक 01–04–2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की सहमति दी जाती है। इन कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण दिनांक 01–04–2022 से प्रभावी होगा।

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा–निर्देश उपरोक्त सहमति के आधार पर राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों के लिये दिशा–निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त शासन सचिव / समस्त विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली

24/3/22
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RAPSAR 02 / 2022)